

# थायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंन 92/17 तारीख 27 जू 19.7.17

उमवान - च्योर लाल बनाम नंदराम केरो  
राजो एणी

यावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा


वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट  
ने दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 183 व 188 पेश किया। जमा बन्दी  
का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर  
प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलाब किया  
जाकर दिनांक 3.8.17 को पेश हो।

4128/32  
19.7.17

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम


3.8.17

वादी वकील उप/प्रतिवादी नं. 1 ता 4 की ओर से श्री मदन  
मोहन शर्मा A.W. ने बकालतनाम पेश किया। प्रतिवादी नं.  
5 अपजुद रूपता उप. नही है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्य  
वाली की जाती है पेश करने बकालतनाम व जबाब दिनांक  
24.8.17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

5.10.17

जनरल पेशी से पेश हुई / वकलाय उप. श्री मदन मोहन  
शर्मा A.W. ने बकालतनाम पेश किया। जबाब पेश करते  
दि 27.10.17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

# उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। बादी को भी साथ लगाना  
 अहकाम है। उपरोक्त अहकाम उपरोक्त पत्रावली में  
 पत्रावली पेश दिनांक 2-11-20 को पेश हो।

9-20  
 लोक डाउन से जनरल पेशी पेश हुई।  
 वरिष्ठ उपस्थित अधिकारी न्यूनान मीना को  
 करीली पेशा है। अतः पत्रावली पत्रावली  
 दिनांक 2-11-20 को पेश हो।

11-20  
 पत्रावली पेश की गई। बादी वकील उपस्थित नहीं है।  
 पत्रावली पेश दिनांक 11-11-20 को पेश हो।

11-20  
 पत्रावली पेश हुई। बादी वकील उपस्थित नहीं है।  
 वकील प्रतिवादी उपस्थित। कई बार कक-कक का  
 आवाज दितवाई फिर भी बादी वकील एवं वादी  
 में से कोई भी उपस्थित नहीं है। 10-11-20 अहकाम  
 पत्रावली पेश दिनांक 11-11-20 को पेश हो।

11-20 - अहकाम घोषित।

11-20 - पत्रावली पेश हुई। बादी वकील उपस्थित  
 नहीं वकील प्रतिवादी उपस्थित। कई बार कक-कक  
 आवाज दितवाई गई फिर भी बादी वकील  
 व वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह  
 वा अदम हाजिरी एवं अदम पैरबी में खारिज किया  
 जाता है। इस पत्रावली के साथ हमफिता पत्रावली उन्वामी  
 वंदराम बनाम प्यारेलाल नोले सुनवाई अलग की जाती है।  
 पत्रावली के हल पत्रावली को नमूने से कम होकर  
 उपस्थित दफतर है।

(जुर्गा प्रसाद मीना)  
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम  
 जिला-करीली

(1) कलीराग

सुनवाई